न्यायालय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः–16 / 2007

अपीलांटः– उगमाराम पुत्र श्री भेराराम, जाति कुम्हार निवासी खेतासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्सः–

1. सोनाराम पुत्र नारायणराम
2. लालाराम पुत्र नारायणराम
3. अणची पत्नी नारायणराम
4. पुसाराम पुत्र मगाराम
5. माड़ू बेवा भगवानाराम
6. अन्नाराम पुत्र दलाराम जातियान जाट
7. मगाराम पुत्र रूपाराम
8. झमकु पुत्री भेराराम
9. अमराराम पुत्र धन्नाराम
10. चम्पा पुत्री धन्नाराम
11. पपु पुत्री धन्नाराम
12. नारायणराम पुत्र दुर्गाराम
13. सीयाराम पुत्र मिसाराम
14. सुमेराराम पुत्र मिसाराम
15. अचलाराम पुत्र मिसाराम
16. गंगाराम पुत्र मिसाराम
17. मदनलाल पुत्र मिसाराम
18. केसाराम पुत्र मिसाराम
19. देवाराम पुत्र मिसाराम
20. लक्ष्मणराम पुत्र मिसाराम
21. मोतीराम पुत्र मिसाराम
22. प्रभुराम पुत्र मिसाराम नाबालिग जरिये माता कमला
23. कमला पत्नि मिसाराम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

24. बाबुदेवी पुत्री मिसाराम

25. कोजाराम पुत्र जसाराम

26. मोहनराम पुत्र जसाराम

27. हनुमानाराम पुत्र जसाराम

28. धुड़ाराम पुत्र जसाराम

29. सोहनराम पुत्र जसाराम

30. धिगड़ाराम पुत्र जसाराम

31. मेग़ाराम पुत्र जसाराम

32. चैनी पत्नी जसाराम

33. भीखाराम पुत्र मूलाराम

34. पुरखाराम पुत्र मूलाराम

35. जालाराम पुत्र मूलाराम

36. अणदाराम पुत्र मूलाराम

जातियान कुम्हान सभी निवासी गांव खेतासर

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

37. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत खेतासर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 54 दिनांक 25.01.1967 ग्राम पंचायत खेतासर जरिये सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध

उपस्थित –

अपीलान्ट – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

रेस्पोडेन्ट्स– अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 21/01/2020

अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट, नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 25.01.1967 ग्राम पंचायत खेतासर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की गई कि– खसरा नम्बर 222 रकबा 115 बीघा ग्राम खेतासर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को भी भी बेचान नहीं किया यह बेचान फर्जी व कुटरचित है। फर्जी बेचान के आधार पर

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

म्यूटेशन स्वीकार किया गया है। म्यूटेशन के कॉलम संख्या 14 में 3 रूपये के स्टाम्प पर बेचान बताया गया है। जो अनरजिस्टर्ड बेचान है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पिता द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया तथा न ही ग्राम पंचायत के समक्ष कोई बेचाननामा पेश किया गया। बिना बेचान नामा के ही म्यूटेशन स्वीकार कर दिया गया। इस कारण जेर अपील म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। म्यूटेशन स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को कोई नोटिस नही दिया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत खेतासर व पटवारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने मिलीभगत कर एकतरफा म्युटेशन स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त म्युटेशन पंचायत की बैठक में पेश नहीं हुआ है और न ही स्वीकृत हुआ है न ही उक्त म्युटेशन पंचायत के समक्ष जलसे आम के समक्ष पेश किया गया न ही इसमें पंचायत के प्रस्ताव संख्या ही दर्ज है। म्यूटेशन में पटवारी खेतासर ने कोई दिनांक अंकित नहीं की है और न ही भू निरीक्षक के पटवारी ने मिलान ही करवाया है। भू निरीक्षक के समक्ष पेश किये बिना ही सरपच द्वारा म्यूटेशन लेण्ड रेकर्ड रूल्स के तहत स्वीकृत करने का कानूनी अधिकार सरपंच को नहीं है। उक्त म्यूटेशन लेण्ड रेकर्ड रूल्स के प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत खेतासर के सरपंच द्वारा म्यूटेशन भरना दिनांक 25.01.1967 को बताया गया है जबकि कॉलम में स्टाम्प पर बेचान सन् 1977 को बताया गया है। इस कारण भी म्युटेशन सरपंच के क्षेत्राधिकार का नही है। अन रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत होना बताया गया है। जबकि अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर कोई कब्जा नहीं माना जायेगा और न ही उसका कोई हक व अधिकार माना जायेगा। सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत 100/– रूपये से अधिक की भूमि होने पर उनका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। विवादित भूमि करीब 15 बीघा है जिसको यदि प्रति बीघा 25/– रूपये माना जावे तो करीब 375/– रूपये की सम्पति मानी जायेगी यानि उक्त भूमि का मूल्य 100/– रूपये ये अधिक था। इस कारण उक्त हस्तान्तरण रजिस्टर्ड बेचान नामा पर करवाना अनिवार्य था अनरजिस्टर्ड बेचान नामा के आधार पर हक व अधिकार हासिल नहीं होते। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपीलान्ट ने म्यूटेशन संख्या 54 दिनांक 51.01.67 सरपंच ग्राम पंचायत खेतासर द्वारा स्वीकृत को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर, [illegible]

Scanned by CamScanner

यह है कि अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी उपस्थित।

यह है कि अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 3 रूपये के स्टाम्प पर अनरजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने का भी कोई उल्लेख नहीं है तथा मौके पर कब्जे बाबत् जांच भी करने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अनरजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के नामान्तरकरण कानूनी रूप से वैध नहीं है तथा धारा 5 में भी देरी कारण भी सशपथ पत्र बताया है जिसको नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् जांच की जानी आवश्यक है।

–::आदेश::–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 25.01.1967 जो ग्राम पंचायत खेतासर द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बेचान नामा पक्षकारान से तलब किया जाकर पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देने के बाद मौका रिपोर्ट तलब की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को लिखा जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 21/01/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner